न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 136/2021 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 10.12.2021
G.C.M.S. NO. :- 2021/136

ग्राम पंचायत लेसवा, पंचायत समिति भदेसर, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ जरिये सरपंच राधेश्याम पिता भगानलाल जी जटिया, निवासी देवाखेड़ा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–निगराकार

बनाम

प्रहलाद पुरी पिता पूरण पुरी गोस्वामी, जाति गोस्वामी, उम्र 25 वर्ष, निवासी देवाखेड़ा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम विरूद्ध पट्टा संख्या 18 दिनांक 04.05.2017 ग्राम पंचायत लेसवा, पंचायत समिति भदेसर

उपस्थिति : 1–श्री हीरालाल सुखवाल, अधिवक्ता निगराकार
2–श्री सुनील रजक, अधिवक्ता गैर निगराकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 136/2021 (नि.पं.)
ग्राम पंचायत लेसवा जरिये सरपंच राधेश्याम पिता भगानलाल जटिया निवासी देवाखेड़ा बनाम प्रहलाद पुरी पिता पूरण पुरी गोस्वामी निवासी देवाखेड़ा, तहसील भदेसर

निर्णय

दिनांक 07.06.2024

निगराकार द्वारा यह निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की है तत्कालीन ग्राम पंचायत लेसवा द्वारा विपक्षी के पक्ष में जारी आवासीय भूमि का पट्टा संख्या 18 दिनांक 04.05.2017 न्याय नियम एवं वाकियाती तथ्यों के विपरीत होकर अनियमितता पूर्ण कार्यवाही कर जारी करने से निरस्त योग्य है। तत्कालीन ग्राम पंचायत लेसवा द्वारा क्षेत्राधिकार से परे जाकर चरनोट भूमि पर विवादित पट्टा जारी किया है जो निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर तत्कालीन ग्राम पंचायत लेसवा द्वारा विपक्षी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 18 दिनांक 04.05.2017 निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकार को सूचना पत्र जारी किया गया। गैर निगराकार की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील रजक ने अधिकार पत्र एवं सहमति का जवाब पेश किया। जवाब पेश होने से बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने अपनी निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तत्कालीन ग्राम पंचायत लेसवा ने विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जो पट्टा संख्या 18 दिनांक 04.05.2017 जारी किया है वह विधि-विरूद्ध एवं अनियमितता पूर्ण कार्यवाही कर बिना जांच-पड़ताल किये जारी करने से निरस्त योग्य है क्योकि तत्कालीन ग्राम पंचायत लेसवा द्वारा विपक्षी के पक्ष में जो पट्टा जारी किया है वह आबादी भूमि नहीं होकर ग्राम लेसवा की चरनोट भूमि है इस प्रकार चरनोट भूमि में ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने के अधिकार नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 18 दिनांक 04.05.2017 निरस्त फरमावे।

विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि निगरानी में वर्णित तथ्य स्वीाकार हैं विपक्षी को दिया गया पट्टा संख्या 18 दिनांक 04.05.2017 चारागाह भूमि में होने से निरस्त किया जावे तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 136/2021 (नि.पं.)
ग्राम पंचायत लेसवा जरिये सरपंच राधेश्याम पिता भगानलाल जटिया निवासी देवाखेड़ा बनाम प्रहलाद पुरी पिता पूरण पुरी गोस्वामी निवासी देवाखेड़ा, तहसील भदेसर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। जिसके अनुसार निगराकार ने विपक्षी को जारी पट्टा संख्या 18 दिनांक 04.05.2017 चरनोट भूमि में जारी होने से निरस्त करने का निवेदन किया है तथा विपक्षी प्रहलाद पुरी स्वयं ने भी अपने पक्ष में जारी पट्टा चारागाह भूमि में होने से निरस्त किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होने का कथन किया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर विवादित पट्टा संख्या 18 दिनांक 04.05.2017 जो कि तत्कालीन ग्राम पंचायत लेसवा द्वारा विपक्षी के पक्ष में जारी किया गया है प्रथम दृष्ट्या चारागाह भूमि मे जारी होने की पुष्टि होती है। ग्राम पंचायतों को आबादी भूमि में पट्टे जारी करने के अधिकार प्रदत्त हैं जबकि हस्तगत प्रकरण में तत्कालीन ग्राम पंचाचत लेसवा द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर चारागाह भूमि में पट्टा जारी किया गया है जो कि निरस्त योग्य है।

निष्कर्षतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत लेसवा द्वारा गैर निगराकार के पक्ष में जारी पट्टा क्रमांक 18 दिनांक 04.05.2017 निरस्त किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(राकेश कुमार)